

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

/राँची, दिनांक 3/8/11

पत्र संख्या

1376

02/उ0/स्था0-10/2001

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
विभागाध्यक्ष (संलग्न तालिकानुसार)

विषय: विभागीय-क्रय-समिति में उद्योग विभाग के प्रतिनिधि-पदाधिकारी के मनोनयन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय पत्रांक 1028 दिनांक 13.07.2009 को संशोधित करते हुए उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के निम्नांकित पदाधिकारियों का मनोनयन उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विभाग/संलग्न-कार्यालय में गठित क्रय-समिति में सदस्य के रूप में किया जाता है:-

क्र0 सं0	उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन पदस्थापित पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं कार्यालय का पता/मोबाईल नंबर	विभाग/निदेशालय/कार्यालय का नाम
1	2	3
1	श्री इन्दल दास, उप उद्योग निदेशक (9431189357)	1. गृह विभाग/कारा महानिरीक्षक/महानिदेशक, पुलिस/ महानिदेशक, सैन्य पुलिस, पुलिस महानिदेशक, अभियोजन /महानिरीक्षक, प्रक्षिण/निगरानी/निगरानी व्यूरो/महानिदेशक निगरानी। 2. नगर विकास विभाग। 3. सांस्थिक वित्त विभाग। 4. पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग 5. मंत्रिमडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालय
2	श्री दिलीप कुमार शर्मा, उप उद्योग निदेशक (9162927154)	1. कल्याण/समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कल्याण/ आदिवासी कल्याण आयुक्त/निदेशक, समाज कल्याण। 2. आपदा प्रबंधन विभाग। 3. विधि विभाग। 4. निबंधक सहयोग समितियाँ/सहकारिता विभाग। 5. भू-राजस्व, निबंधन एवं उत्पाद विभाग।
3	श्री सामरोम बारला, उप उद्योग निदेशक (9431106803)	1. मुख्यमंत्री सचिवालय। 2. जल संसाधन विभाग। 3. कृषि विभाग/कृषि मार्केटिंग बोर्ड
4	श्री डी0पी0 विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक (9835504544)	1. खनन एवं भूतत्व विभाग/निदेशक, खान/निदेशक, भूतत्व। 2. योजना एवं विकास विभाग।
5	श्री रमेश प्रसाद गुप्ता, उप उद्योग निदेशक (9431632348)	1. ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज निदेशालय/सई, राँची/ संबंधित निदेशालय एवं अन्य यूनिट। 2. परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त कार्यालय सहित। 3. मानव संसाधन विकास विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा। 4. कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य।
6	श्री रामचन्द्र प्रसाद, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची (9431456876)	1. स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा सम्बद्ध कार्यालय। 2. रिम्स, रिनपास। 3. झारखण्ड एकेडमिक काँसिल।

		4. कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग/ श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान 5. राज्य निर्वाचन आयोग। 6. कृषि निदेशालय/भू-संरक्षण/उद्योग निदेशालय एवं कांके रोड अवस्थित कृषि विभाग के कार्यालय
7	श्री राजेन्द्र प्रसाद, परियोजना प्रबंधक (9470518897)	1. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। 2. ऊर्जा विभाग/झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड/जेडा।
8	श्री अनिल कुमार कर्ण परियोजना प्रबंधक (9934506177)	1. वित्त विभाग एवं निदेशक, भविष्य निधि। 2. वाणिज्यकर विभाग एवं न्यायाधिकरण। 3. वन एवं पर्यावरण विभाग/प्रधान प्रमुख वन संरक्षक एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद।
9	श्री अद्रियास टोपनो अवर सचिव (9199546265)	1. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा अन्य राज्य स्तरीय कार्यालय। 2. पर्यटन विभाग, पर्यटन निदेशालय।
10	श्री लेओ मिंज अवर सचिव (9431576777)	1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/झा0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्सद। 2. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
11	श्री फ्रांसिस जेवियर कुजूर अवर सचिव (9431354261)	1. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग। 2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

क्रम सं० 1 में अंकित पदाधिकारी की अनुपस्थिति में क्रम सं० 2 के पदाधिकारी, 2 की अनुपस्थिति में क्रम सं० 3, 3 की अनुपस्थिति में क्रम सं० 4, 4 की अनुपस्थिति में क्रम सं० 5, 5 की अनुपस्थिति में क्रम सं० 6 तथा क्रम सं० 6 की अनुपस्थिति में क्रम सं० 7, क्रम सं० 7 की अनुपस्थिति में क्रम सं० 8, क्रम सं० 8 की अनुपस्थिति में क्रम सं० 9, क्रम सं० 9 की अनुपस्थिति में क्रम सं० 10, क्रम सं० 10 की अनुपस्थिति में क्रम सं० 11, क्रम सं० 11 की अनुपस्थिति में क्रम सं० 1 में अंकित पदाधिकारी संबंधित विभाग/कार्यालय की क्रय-समिति की बैठक में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य Substitution मान्य नहीं होगा।

अनुरोध है कि अपने विभाग/निदेशालय/कार्यालय की क्रय-समिति की बैठक की तिथि/स्थान/समय की सूचना उद्योग विभाग के संबंधित पदाधिकारी को उनके कार्यालय के पते पर देना चाहेंगे। साथ ही अपने अधीनस्थ राज्य-स्तरीय कार्यालयों को इस पत्र की एक प्रति भेजते हुए निदेशित करना चाहेंगे।

यह मनोनयन तत्कालिक-प्रभाव से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन


ह०/-

(राज कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1376 /रॉची, दिनांक 8/8/11

- प्रतिलिपि:-
1. उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रॉची के सभी संबंधित पदाधिकारीगण/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
 2. उद्योग निदेशक, झारखण्ड, रॉची/निदेशक, रेशम उद्योग सह विशेष सचिव, उद्योग।
 3. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव